भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001

सं0 ईसीआई/पीएन/6/2015 दिनांक : 13 जनवरी, 2015

<u>प्रेस नोट</u>

विषय : अर्हक तिथि के रूप में 01 जनवरी, 2015 के संदर्भ में सेवा कार्मिकों के संबंध में निर्वाचक नामावलियों के अंतिम भाग का नए सिरे से गहन पुनरीक्षण ।

आयोग ने दिनांक 02 दिसम्बर, 2014 की प्रेस प्रकाशनी द्‌वारा अर्हक तिथि के रूप में 01 जनवरी, 2015 के संदर्भ में सेवा कार्मिकों के संबंध में निर्वाचक नामावलियों के अंतिम भाग के नए सिरे से गहन पुनरीक्षण हेतु अनुसूची की घोषणा की थी।

इसके पश्चात आयोग ने सशस्त्र सेनाओं तथा अन्य संबंधित विभागों, जिनके कार्मिकों को सेवा निर्वाचक के रूप में पंजीकृत करना था, के संबंधित प्राधिकारियों के साथ अनेक बार चर्चा हुई थी। आज, आयोग ने सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के साथ इस संबंध में प्रगति और संबंधित मामलों की और आगे समीक्षा की। आयोग ने यह निर्णय लिया है कि उपर्युक्त पुनरीक्षण कार्य को और अधिक समय दिया जाए तथा निम्नलिखित अनुसार अनुसूची संशोधित की है:-

क्रम सं.	पुनरीक्षण के चरण	दिनांक ***
1.	वह तारीख जिस तक रिकॉर्ड कार्यालय/ प्राधिकारी घोषणापत्रों सहित डुप्लीकेट प्रतियों में विधिवत रूप से सत्यापित फार्म- 2, 2क, 3 जिला निर्वाचन अधिकारियों/मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को अग्रेषित करेंगे	15 मार्च, 2015 तक

2.	निर्वाचक नामावली के अंतिम भागों के ड्राफ्ट की तैयारी और उसमें से उद्धरणों को (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा डुप्लीकेट प्रतियों में) संबंधित रिकॉर्ड अधिकारियों/प्राधिकारियों को उनके द्वारा सत्यापन के लिए भेजना।	15 अप्रैल, 2015
3.	वह तारीख जिस तक रिकार्ड कार्यालय/ प्राधिकारी सत्यापन के पश्चात उद्धरण की एक प्रति मुख्य निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को वापिस भेज देंगे।	20 मई, 2015
4.	सत्यापन के पश्चात प्राप्त किए गए उद्धरणों के आधार पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा सुधार करना।	05 जून, 2015
5.	अंतिम भागों का अंतिम रूप से प्रकाशन	15 जून, 2015

*** उपर्युक्त उल्लिखित तारीखें अधिकतम सीमाएं हैं।

उपर्युक्त सामान्य सूचना के लिए है।

(धीरेन्द्र ओझा)

निदेशक